वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

वित्तीय सेवाएं विभाग में मई 2024 के दौरान महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस प्रकार हैं:-

i. वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) ने विकसित भारत 2024 का लक्ष्य निर्धारित करने के संदर्भ में मैनेजमेंट डेवेलपमेंट इंस्टिट्यूट (एमडीआई), गुड़गांव के सहयोग से दिनांक 04.05.2024 को **वित्तीय सेवा क्षेत्र की भूमिका और भावी रोडमैप** पर एक सम्मेलन का आयोजन किया था।

ii. डीएफएस द्वारा दिनांक 09.05.2024 को '**बैंकों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की स्थिति**' के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को एआई को अपनाने और उससे जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए सर्वोत्तम पद्धति के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यशाला का संचालन नैसकॉम (एनएएसएससीओएं) द्वारा किया गया। इस बैठक में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के प्रमुखों ने सहभागिता की।

iii. भारतीय एक्जिम बैंक ने डीएफएस के सहयोग से दिनांक 15.05.2024 को '**स्वतंत्र व्यापार समझौतों में वित्तीय सेवाएं**' विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया। विभिन्न विभागों और विनियामकों के सहभागियों ने एफटीए के पहलुओं और भारत के निर्यात में वित्तीय सेवाओं की उभरती भूमिका पर विचार-विमर्श किया।

iv. एनबीएफसी से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए एसबीआई, पीएनबी, सिडबी, नाबार्ड, एफआईडीसी, एनबीएफसी और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के मुख्य कार्यपालकों के साथ दिनांक 16.05.2024 को बैठक आयोजित की गई।

v. सहकारी बैंकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 08.05.2024 को सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया।

vi. सरकार ने दिनांक 27.05.2024 के पत्र के तहत पंजाब नैशनल बैंक को बाज़ार से क्यूआईपी के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए तक की इक्विटी पूंजी जुटाने के लिए अनुमति दी है।

vii. अन्य नियमित उपायों और महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का विवरण इसके साथ संलग्न है।

संलग्न: यथोक्त

अनुबंध

वित्तीय सेवाएं विभाग के अन्य नियमित कार्यकलाप

1. प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत प्रगति :

योजनाएं	दिनांक 22.05.2024 की स्थिति के अनुसार उपलब्धियां (योजना को आरंभ किए जाने से लेकर)	वित्तीय वर्ष 2024-25 में वृद्धि (दिनांक 22.05.2024 की स्थिति के अनुसार)	मई, 2024 में वृद्धि (दिनांक 22.05.2024 तक)
प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)			
● पीएमजेडीवाई खातों की संख्या	52.30 करोड़	35.44 लाख	21.1 लाख (14 लाख ग्रामीण + 7.1 लाख शहरी)
● जमाराशि	2,28,057 करोड़ रुपए	(-4444.7) करोड़ रुपए	(-2253.5) करोड़ रुपए
● रुपे कार्ड की संख्या	35.58 करोड़	22.93 लाख	14.34 लाख
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)			
● नामांकन	44.31 करोड़	50 लाख	22 लाख
● संवितरित दावों की संख्या	1,37,084	2,511	1,304
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)			
● नामांकन	20.15 करोड़	25 लाख	9 लाख
● संवितरित दावों की संख्या	7,93,762	15,843	7,959
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) (30.05.2024)	6.56 करोड़	12.87 लाख	8.06 लाख

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)

पीएमएमवाई	योजना को आरंभ किए जाने से लेकर (दिनांक 24.05.2024 की स्थिति के अनुसार)		वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान (24.05.2024 तक)		मई, 2024 के दौरान (24.05.2024 तक)	
	खातों की संख्या (करोड़ में)	राशि (लाख करोड़ रुपए में)	खातों की संख्या (करोड़ में)	राशि (लाख करोड़ रुपए में)	खातों की संख्या (करोड़ में)	राशि (लाख करोड़ रुपए में)
शिशु	38.68	10.96	0.26	0.09	0.18	0.06
किशोर	8.63	11.43	0.17	0.23	0.11	0.15
तरूण	0.98	6.97	0.02	0.14	0.02	0.11
कुल	**48.29**	**29.36**	**0.45**	**0.46**	**0.31**	**0.32**
एससी/एसटी/ओबीसी (कुल में शामिल)	24.27	10.25	0.22	0.16	0.14	0.10
महिलाएं (कुल में से)	32.83	13.03	0.33	0.18	0.17	0.10

स्टैण्ड अप इंडिया (एसयूआई)

एसयूआई	योजना को आरंभ किए जाने से लेकर (दिनांक 31.05.2024 तक की स्थिति के अनुसार)		वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान (दिनांक 31.05.2024 तक की स्थिति के अनुसार)		मई, 2024 के दौरान (दिनांक 31.05.2024 तक)	
	खातों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	खातों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	खातों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
अजा.	38,722	8,247.57	689	180.57	612	167.14
अजजा.	12,974	2,795.76	254	62.88	199	52.92
महिलाएं	1,79,320	41,275.47	1,947	504.72	1,806	500.72
कुल	**2,31,016**	**52,318.80**	**2,890**	**748.17**	**2,617**	**720.78**

2. **किसान क्रेडिट कार्ड विशेष परिपूर्णता अभियान:** किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के अंतर्गत पीएम- किसान लाभार्थियों, डेयरी किसानों और मछुआरों सहित किसानों को केसीसी के माध्यम से रियायती ऋण उपलब्ध कराया जाता है। बैंकों और अन्य हितधारकों द्वारा किसानों को किफायती ऋण प्रदान करने की दिशा में निरंतर और ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, 24 मई, 2024 की स्थिति के अनुसार, 6,42,489 करोड़ रुपए की स्वीकृत ऋण सीमा के साथ केसीसी योजना के अंतर्गत 514.46 लाख किसानों (पशुपालन और डेयरी किसानों तथा मछुआरों सहित) को शामिल करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। विगत वर्षों में केसीसी लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए कई अभियान चलाए गए हैं। 24 मई, 2024 की स्थिति के अनुसार, 2,48,613 शिविर लगाए गए और इस विशेष साप्ताहिक अभियान के अंतर्गत कुल 35,63,932 केसीसी स्वीकृत किए गए हैं।

3. **कृषि के लिए ऋण प्रवाह:** वर्ष 2023-24 में कृषि ऋण का लक्ष्य 20.00 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। कुल लक्ष्य की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उपलब्धि 25.10 लाख करोड़ रुपये रहा है, जो लक्ष्य का 125% है।

4. **अकाउंट एग्रीगेटर:** दिनांक 31.05.2024 की स्थिति के अनुसार, 60 वित्तीय संस्थाओं (एफआई) ने वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) के रूप में, 344 एफआई ने वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईयू) के रूप में तथा 91 एफआई ने एफआईपी तथा एफआईयू दोनों के रूप में कार्य करना आरंभ किया है। 2.12 बिलियन पात्र बैंक खातों (जिसमें 1.64 बिलियन बैंक खाते शामिल हैं) में से लगभग 70.82 मिलियन उपयोगकर्ताओं ने अपने खाते को एए ढांचे से संबद्ध किया है।

5. **पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना (पीएम स्वनिधि):** दिनांक 30.5.2024 की स्थिति के अनुसार 12035.59 करोड़ रुपये की राशि के कुल 88.98 लाख ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 85.12 लाख ऋण आवेदनों में 11,454.42 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई है।

6. **खातों को आधार से जोड़ना:** दिनांक 24.05.2024 की स्थिति के अनुसार, 171.04 करोड़ कासा खातों में से 149.18 करोड़ खातों (87.2%) को आधार से जोड़ दिया गया है।

7. **पीएमजेडीवाई खाताधारकों को बीमा कवरेज:** पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत क्रमशः 6.30 करोड़ और 15.40 करोड़ पीएमजेडीवाई खाताधारकों का नामांकन किया गया है जिनमें से मई, 2024 के दौरान (22.05.2024 तक) पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के अंतर्गत क्रमशः 1.91 लाख और 6.44 लाख पीएमजेडीवाई खाताधारकों का नामांकन किया गया है।

******